प्रेस नोट थाना साइबर क्राइम

जनपद शाहजहाँपुर

सराहनीय कार्य दिनांक : 09.07.2025

"साइबर क्राइम नियन्त्रण के लिये गठित एस0आई0टी0 टीम को मिली बडी सफलता"

"साइबर क्राइम नियन्त्रण के लिये गठित एस0आई0टी0 टीम द्वारा डिजीटल अरेस्ट कर फिनटैक साइबर ठगी करने वाले एक अभियुक्त (पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्तों में मुख्य अभियुक्त) को किया गिरफ्तार"

श्री रमित शर्मा, अपर पुलिस महानिदेशक बरेली, जोन बरेली एवं श्री अजय कुमार साहनी, पुलिस उप महानिरीक्षक बरेली, परिक्षेत्र बरेली महोदय के निर्देशन में, श्री राजेश द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर द्वारा साइबर क्राइम संबंधित घटनाओं को गम्भीरता से लिया जा रहा है जिसके क्रम में श्री राजेश द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर द्वारा मुकदमा उपरोक्त में एसआईटी टीम का गठन किया गया था जिसमे श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी क्राइम , क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी साइबर क्राइम थाना के नेतृत्व में साइबर क्राइम थाना पुलिस टीम , एस.ओ.जी. टीम व सर्विलांस टीम ने उक्त डिजीटल अरेस्ट कर साइबर ठगी की घटना में संलिप्त अपराधियों की विशेष निगरानी एवं साइबर क्राइम से ठगे गये लोगों को उनकी धनराशि वापस कराये जाने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कडे दिशा निर्देश दिये गये।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 06/05/2025 से 15/05/2025 तक वादी श्री शरदचन्द्र को डिजीटल अरेस्ट कर साइबर ठगो द्वारा उनके दो अकाउण्टो से कुल धनराशि 01 करोड़ 04 लाख 47 हजार 130 रु0 की ठगी की गयी। उक्त घटना के संबंध में श्री शरदचन्द्र द्वारा दिनांक 04/06/2025 को साइबर क्राइम थाना पर **मु0अ0सं0 11/2025 धारा 318(4), 319(2), 204 BNS व 66(C), 66(D) IT ACT** अभियोग पंजीकृत कराया गया।

अपराध कारित करने का तरीका:- (MODUS OPERANDI)

साइबर ठगों द्वारा डिजीटल अरेस्ट तथा फिनटेक फ्रॉड की दो टीमें लगाकर साइबर ठगी की गयी है।

डिजीटल अरेस्ट:-

डिजिटल अरेस्ट कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि **साइबर ठगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक धोखाधड़ी की तकनीक** है। इसमें अपराधी खुद को सरकारी अधिकारी या एजेंसी का प्रतिनिधि बताकर व्यक्ति को डराते हैं कि वह किसी अपराध में फंस गया है और उसे **"डिजिटल रूप से गिरफ्तार"** किया जा रहा है।

डिजिटल अरेस्ट कैसे किया जाता है:

- वीडियो कॉल या फोन पर खुद को पुलिस, CBI या कोर्ट का अधिकारी बताकर डराना
- फर्जी दस्तावेज़, लोगो और पहचान पत्र दिखाकर विश्वास दिलाना
- मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्स या फाइनेंशियल फ्रॉड का आरोप लगाकर धमकाना
- पीड़ित को घर में ही "डिजिटल कस्टडी" में रखने की बात कहना
- बैंक खातों से पैसे ट्रांसफर करवाना या लोन लेने को मजबूर करना

फिनटैक साइबर फ्रॉड:-

फिनटैक साइबर फ्रॉड एक आधुनिक डिजिटल धोखाधड़ी है जिसमें ठग वित्तीय तकनीक (Fintech) प्लेटफॉर्म्स जैसे मोबाइल वॉलेट, UPI ऐप्स, डिजिटल लोन सेवाओं आदि का दुरुपयोग करते हैं

फिनटेक धोखाधड़ी के प्रमुख प्रकार:

- **फिशिंग (Phishing):**नकली वेबसाइट, ईमेल या SMS के माध्यम से उपयोगकर्ता से उसकी संवेदनशील जानकारी जैसे OTP, पासवर्ड, UPI पिन आदि प्राप्त करना।
- **UPI फ्रॉड:** फर्जी QR कोड स्कैन करवाकर या कॉल के माध्यम से PIN डलवाकर खाते से पैसे निकालना।
- **लोन ऐप फ्रॉड:**अवैध या फर्जी लोन ऐप इंस्टॉल करवाकर उपयोगकर्ता से व्यक्तिगत जानकारी लेना, फिर उसे ब्लैकमेल करना या मोबाइल डेटा (गैलरी, कॉन्टैक्ट्स आदि) का दुरुपयोग करना।
- **साइबर ठगी कॉल्स: खुद को बैंक अधिकारी, KYC एजेंट या सरकारी अधिकारी बताकर कॉल करना और डराकर बैंकिंग जानकारी हासिल करना। (मुकदमा उपरोक्त मे प्रयोग किया गया)**
- **मालवेयर अटैक:**किसी संदिग्ध लिंक या ऐप पर क्लिक करने से मोबाइल में वायरस आ जाता है, जो फिनटेक ऐप्स की जानकारी चुराकर वित्तीय नुकसान पहुंचा सकता है।

उपरोक्त प्रकरण में डिजीटल अरेस्ट तथा फिनटैक साइबर फ्रॉड का प्रयोग कर वित्तीय ठगी की गयी है। फिनटैक साइबर फ्रॉड की टीम कमीशन पर किसी भी व्यक्ति का कोर्पोरेट करेंट अकाउण्ट विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से चिन्हित करती है और फिर डिजीटल अरेस्ट किये हुये व्यक्ति का पैसा फेस टू फेस बैठा कर उस अकाउण्ट में डालती है। कोर्पोरेट अकाउण्ट से Cash Management System द्वारा विभिन्न लाभार्थी अकाउण्ट एड कर पैसे को आगे ट्रांसफर किया जाता है। भिन्न भिन्न खातों में रुपये ट्रासंफर करा कर अंत में Saving Accounts से क्रिप्टो करंसी मे सम्पूर्ण धनराशि को किसी क्रिप्टो वालेट (जैसे Binance) में भेज दिया जाता है।

विवेचना के दौरान पाया गया कि व्हाट्सअप पर विभिन्न एजेन्सियों (मिनिस्ट्री आफ फाइनेन्स डिपार्टमेंन्ट, ईडी, सीबीआई व कथित न्यायालय के जज) के अधिकारी का पद धारण कर वादी को व्हाटसअप वीडियो कॉल पर डिजीटल अरेस्ट कर लिया गया। जिसके बाद ठगों द्वारा जमानत व सारे लगाये गये आरोपों से बरी करने के नाम पर 04 खातों में कुल धनराशि 01 करोड़ 04 लाख 47 हजार 130 रु0 की ठगी कर ट्रांसफर करा ली गयी। उक्त धनराशि को फिनटेक फ्रॉड टीम द्वारा 09 Layers मे 40 बैंक अकाउण्टों में ट्रांसफर किये गया जिसमे हाई लिमिट के करंट/कॉर्पोरेट अकाउंट्स को Mule Account के तौर पर प्रयोग किया जाता है। उक्त क्रम में दिनांक 09.07.25 को उक्त घटना में सम्मलित अभियुक्त राजा सेन उर्फ रियो पुत्र रामदीन सेन उम्र 21 वर्ष निवासी ऐशबाग कॉलोनी भोपाल मध्य प्रदेश को आज दिनांक 09.07.25 को दिउरिया मोड थाना रोजा क्षेत्र से समय करीब 13.15 बजे गिरफ्तार कर बाद विधिक कार्यवाही माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। **यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उपरोक्त प्रकरण की जाँच के क्रम मे पाया गया कि इस गैंग के तार हॉगकांग एवं सिंगापुर जैसे देशों से जुडे है जिसके सम्बन्ध मे और अधिक गहनता से जाँच की जा रही है।**

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :-

- राजा सेन उर्फ रियो पुत्र रामदीन सेन उम्र 21 वर्ष निवासी ऐशबाग कॉलोनी भोपाल मध्य प्रदेश

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्त राजा सेन उर्फ रियो ने पूछताछ के दौरान बताया कि वह दसवीं कक्षा तक पढ़ा है। उसने बताया कि वह विभिन्न टेलीग्राम ग्रुप मे जुडा है ,इन ग्रुप्स में हाई लिमिट के करंट/कॉर्पोरेट अकाउंट्स की मांग की जाती है इन ग्रुपो

मे मै गूगल ट्रांसलेटर की सहायता से हिंदी भाषा को अंग्रेज़ी व अन्य भाषाओं में अनुवाद कर बात करता था, हाई लिमिट के करंट/कॉर्पोरेट अकाउंट्स अपने साथियों से प्राप्त करके टेलीग्राम ग्रुप्स में साझा कर देता था। इसके बदले मुझे उक्त खातो में लेनदेन की गयी धनराशि के प्रतिशत के आधार पर क्रिप्टो वॉलेट में USDT के रूप में भुगतान प्राप्त होता था, जिसे मै अपने साथियों के साथ आपस में बांट लेता था। अभियुक्त ने पूछताछ मे बताया कि आज मै शाहजहांपुर आ रहा था, जहां रास्ते में पुलिस द्वारा मुझे पकड़ लिया गया।

बरामदगी का विवरण:-

1. 01 अदद Iphone 16 pro max मोबाइल व 01 अदद Samsung मोबाइल (टेलीग्राम यूजर मोबाइल)
2. 02 एटीएम कार्ड
3. 2150/-रु0 नगद
4. 01 पैनकार्ड
5. 04 सिमकार्ड।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1- प्रभारी निरीक्षक सर्वेश कुमार शुक्ला साइबर क्राइम थाना शाहजहाँपुर
2- का0 पुष्पेन्द्र कुमार साइबर क्राइम थाना शाहजहाँपुर
3- प्रभारी एस0ओ0जी0 मय टीम
4- प्रभारी सर्विलॉस सैल मय टीम

जागरुक रहे-सजक रहे, साइबर अपराध से सुरक्षित रहे।

साइबर अपराध होने पर तत्काल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नं0 1930 पर काल कर अपनी शिकायत दर्ज कराये।